राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2848/2025

योगिता विश्नोई **–अपीलार्थी**

बनाम

1. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.05.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अनुभागाधिकारी (सामान्य प्रशासन ग्रुप–2) के पद पर सहायक शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 08.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन से अनुभागाधिकारी विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग जयपुर में सहायक शासन सचिव के पद विरूद्ध रिक्त पद पर किया गया है, जो बिना प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है और दिनांक 12.05.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। उनका तर्क है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18572/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2025 की पालना में गांधी नगर स्थित आवासों में जांच कराने हेतु स्थायी समिति गठित की गई, जिसमें अपीलार्थी को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया और राजकीय आवास में अलग–अलग तरह की व्यवसायिक गतिविधियां चलने पर उनका विरोध किये जाने पर तथा अपीलार्थी द्वारा संबंधित थाने में एफआईआर की गई, जिसका विरोध होने पर

अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा पद विरूद्ध पदस्थापित किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री की सहमति के बिना आदेश जारी किया गया है, जो पूर्ण रूप से अनुचित व अवैध है। यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 08.05.2025 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 12.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित रखा जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य